

4260/16

4 10/6 2016



प्रदेश UTTAR PRADESH



रिजिस्ट्रार
26-5-16

विनिमय विलेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1-भूमि का प्रकार

2-परगना

3-ग्राम

4-सम्पत्ति का विवरण

5-मापन की इकाई

आवासीय

अरैल

देवरख उपरहार व मवैया

उपरहार

आराजी नं० 406, 416 व 199

हेक्टेअर में



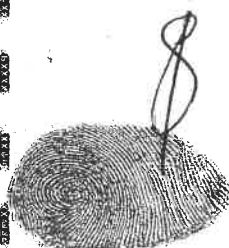


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(2)

6-सम्पत्ति का क्षेत्रफल	—	407 वर्गमीटर व 402 वर्गमीटर
7-सड़क की स्थिति	—	X
8-अन्य विवरण	—	X
9-सम्पत्ति का प्रकार	—	आवासीय
10-सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल	—	X
11-कुल आच्छादित क्षेत्रफल	—	X
12-स्थिति फिनिस्ड/सेमीफिनिस्ड	—	X
13-पेड़ों का मूल्यांकन	—	X





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

14-बोरिंग/कुआँ/अन्य	—	X
15-निर्मित क्षेत्रफल	—	X
16-निर्माण का वर्ष	—	X
17-सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है।	—	X
18-प्रतिफल की धनराशि	—	X
19-मूल्यांकन	—	20,10,000 / -रुपया
20-स्टाम्प	—	1,41,000 / -रुपया

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Red circular stamp]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

गौजा देवरख उपरहार की आराजी नं० 406 की चौहद्दी व शेष संलग्न नक्शानुसार:-

उत्तर—409

दक्षिण—405

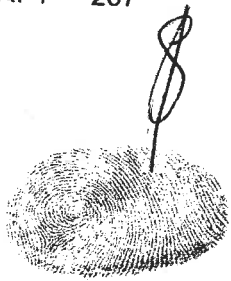
पूरब —409

पश्चिम—405

गौजा मवैया उपरहार की आराजी नं० 199 की चौहद्दी:-

उत्तर—200

दक्षिण—207





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

पूरब —193 व 198 व 209

पश्चिम—203 व 206

प्रथम पक्ष की संख्या - 1 विनिमय विलेखकर्ता

1-नाम-पंचम रियलकॉन प्रा०लि० पंजीकृत कार्यालय 10 एल०एस०सी० कालका जी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी सुनील कुमार सोलंकी पुत्र यशपाल सिंह निवासी 10 एल.एस.सी. कालका जी नई दिल्ली मो०-09711800489





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

द्वितीय पक्ष की संख्या - 1 विनिमय विलेखकर्ता

1-नाम-सनझाप कोलानाईजर्स प्रा0लि0 पंजीकृत कार्यालय 1 सी. बेली रोड
इलाहाबाद अधिकृत हस्ताक्षरी संजय यादव पुत्र माता प्रसाद यादव निवासी 815
मुव्ठीगंज इलाहाबाद मो0-09616320008

8

Janak





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

विनिमय विलेख

जो कि मैं प्रथम पक्ष पंचम रियल कॉन प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 10 एल० एस० सी० कालका जी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी सुनील कुमार सोलंकी पुत्र यशपाल सिंह निवासी 10 एल.एस.सी. कालका जी नई दिल्ली अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है, स्थित मौजा देवरख उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद आराजी नं० 06 रकबा 0.0460 हे० मे से रकबा 0.0192 हे० व आराजी नं० 416 रकबा 0.3270 हे० मे से रकबा 0.0215 हे० लगान 60ख का व द्वितीय पक्ष सनझाप कोलानाईजर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 1 सी. बेली रोड इलाहाबाद अधिकृत हस्ताक्षरी संजय यादव पुत्र

8

Sanjay

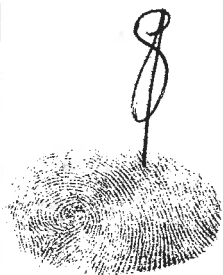




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)

माता प्रसाद यादव निवासी 815 मुठ्ठीगंज इलाहाबाद अनुसूचित जाति के नहीं है। स्थित मौजा मवैया उपरहार आराजी न0 199 रकबा 0.1600 हे0 में से रकबा 0.0402 हे0 पर बहैसियत सक्रमणीय भूमिधर काबिज व दखिल रहे चले आ रहे है जायदाद उपरोक्त के अन्तरण अथवा विनिमय आदि के बाबत उभयपक्षों को वैधानिक अधिकार प्राप्त है प्रथमपक्ष की उपरोक्त आराजी द्वितीय पक्ष के मौकानुसार है तथा द्वितीय पक्ष की आराजी प्रथमपक्ष के मौकानुसार है प्रथमपक्ष अपने अराजी से तथा द्वितीय पक्ष अपनी उपरोक्त आराजी से भरपुर लाभ नहीं उठा पाते है उभयपक्ष अपनी-अपनी उपरोक्त भूमिधरी से उचित लाभ प्राप्त कर पाते है इस कारण उभयपक्ष अपनी - अपनी उपरोक्त भूमिधरी को उचित लाभ प्राप्त करने हेतु आपसी सहमति के आधार पर उपरोक्त आराजीयो का विनिमय कर रहे है





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

अब आज की तारीख से प्रथम पक्ष की उपरोक्त भूमिधरी के मालिक व स्वामी द्वितीयपक्ष उपरोक्त होगा तथा द्वितीयपक्ष उपरोक्त की उक्त आराजीयो के मालिक व स्वामी प्रथमपक्ष उपरोक्त होगा उपरोक्त उभयपक्षो को यह अधिकार होगा कि वे विनियम की गयी उपरोक्त भूमियो का उपभोग व उपयोग अपने अपने हित मे लावेंगे उक्त विनियम की भूमिधरी पर उभयपक्ष अपना अपना नाम कागजात सरकारी मे दर्ज करा लेवे उभयपक्षो को उक्त विनियम करने मे कोई भी उज्र व एतराज नहीं है और न ही भविष्य मे किसी प्रकार उज्र व एतराज होगा व उभयपक्षो के वारिसान आदि को भी नहीं है और नही कोई उज्र व एतराज होगा उभयपक्ष आज की तारीख से विनियम की गयी भूमि पर कब्जा दखल ले लेंगे व उपरोक्त स्टाम्प शुल्क का खर्चा दोनो पक्ष मिलकर वहन करेंगे। अतएव यह चन्द शब्द





प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

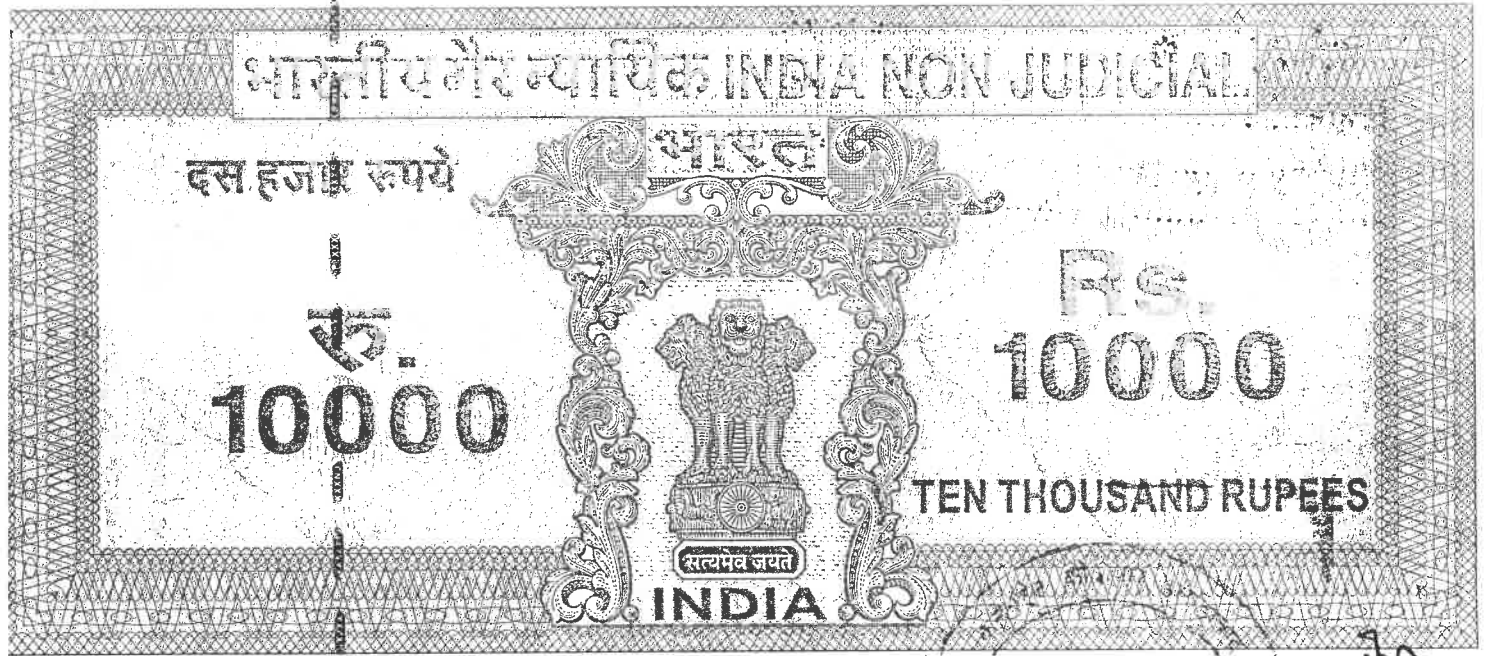
तौर विनिमय विलेख के उभयपक्ष अपनी अपनी रजामन्दी बिला दबाव किसी नाजायज के अपनी अपनी स्वस्थ चित्त की दशा मे कतई लिख दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

तफसील जायदाद

प्रथमपक्ष के भूमि का विवरण जिसका स्वामी द्वितीयपक्ष होगा

8

Amir



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(11)

मौजा देवरख उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की आराजी नं० 406 रकबा 0.0460 हे० मे से रकबा 0.0192 हे० व आराजी नं० 416 रकबा 0.3270 हे० मे से रकबा 0.0215 हे० लगान 60ख

द्वितीयपक्ष के भूमि का विवरण जिसका स्वामी प्रथमपक्ष होगा

मौजा मवैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की आराजी नं० 199 रकबा 0.1600 हे० मे से रकबा 0.0402 हे० लगान 60ख है

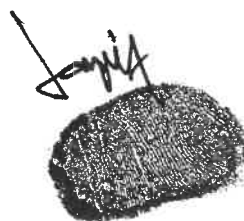
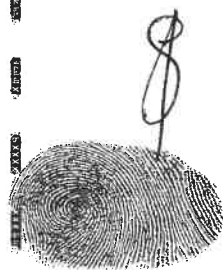




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(12)

यह कि मौजा देवरख उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद के भूमि का सरकारी मूल्यांकन भूमि होने के कारण 407 वर्गमीटर पर 3100 रु० प्रतिवर्गमीटर की दर से सरकारी मूल्यांकन 12,62,000 रु० होती है जब कि मौजा मवैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद के भूमि का सरकारी मूल्यांकन 5000 रु० प्रति हे० की दर से सरकारी मूल्यांकन 20,10,000 रु० होता है जिस पर द्वितीयपक्ष के भूमि का





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

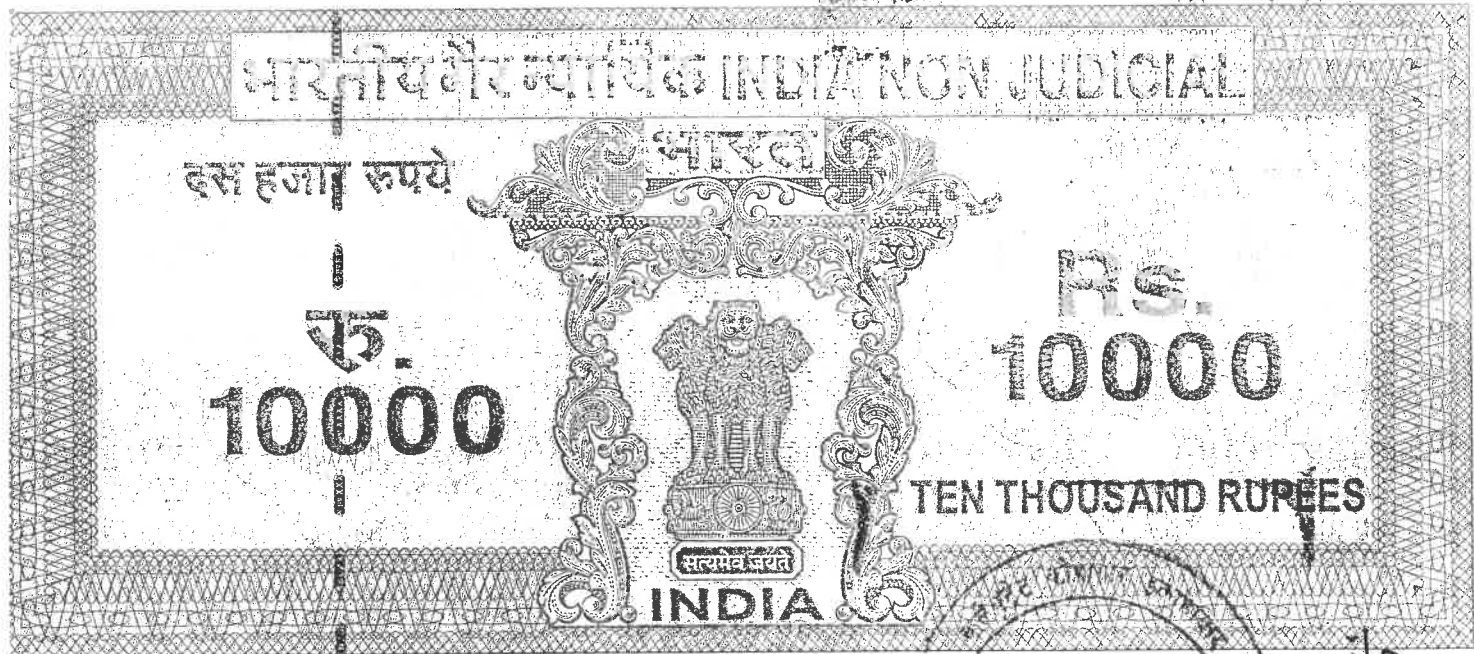
(13)

मूल्यांकन अधिक होने के कारण व अर्द्धनगरी क्षेत्र में स्थित होने के कारण 7 प्रतिशत की दर से 1,41,000 रु० स्टाम्प दिया गया है। यह कि चकमार्ग नहीं है व आबादी से 500 मीटर की परिधी से बाहर है व भूमि सीलिंग पट्टा की भूमि नहीं है। उपरोक्त विनिमयकर्ता के फोटो पहचान का सत्यापन गवाहों के शिनाख्त के आधार पर श्री एस.सी.सिंह एडवोकेट करछना न किया।



Janvi





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

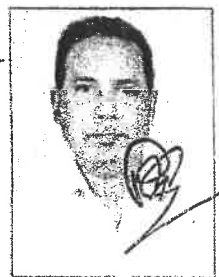
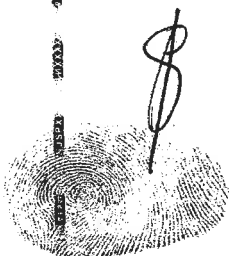
(14)

गवाह-1 संदीप सो विनोद कुमार

G-157, सेक्टर-9, विजय नगर

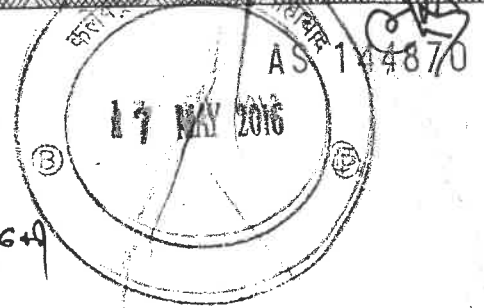
मोबाद 9711800485

गवाह-2 शिवकुमार मिश्र को उपस्थित होने के लिए कहा गया है कि वह 17 मई 2016 को कोर्ट में उपस्थित हों





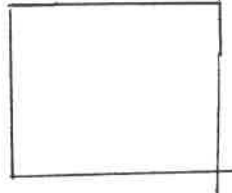
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



₹

नजरी नं० २५ अ. नं० ५०६५

अ. नं० ५०९



अ. नं०
५०५

अ. नं० ५०९

अ. नं० ५०५

(15)

दिनांक 26-5-2016 ई

टाईपकर्ता- श्री

मसविदाकर्ता-

Seigh Advode

26-5-2016

